न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 72/2014

1 मोहन पुत्र भूराराम (मृतक)।
1/1 सोनाराम पुत्र मोहन समस्त जाति स्वामी निवासीगण अलौदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 फतेहचन्द पुत्र भूराराम।
2 सुखाराम पुत्र भूराराम।
3 लक्ष्मण पुत्र भूराराम समस्त जाति स्वामी निवासीगण अलौदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 भंवरसिंह पुत्र प्रहलाद।
5 भगवान सिंह पुत्र सुण्डा सिंह।
6 श्याम सिंह पुत्र सुण्डा सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 उप पंजियक तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 उप पंजियक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
9 नायब तहसीलदार पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 पटवारी पटवार हल्का अलौदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय श्री जगदीश प्रसाद उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर दिनांकित 28.05.2014 जिसके अनुसार अपीलांट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुवानी मोहन विपरित फतेहचन्द वगैरह संख्या 61/2011 टी.आई.खारिज किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री मदनलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 05/10/2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 61/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में ग्राम अलौदा तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 871 से 876,884,886,885,885/1887,881,882,912 से 914,546 से 548,529/1759, 160 से 162 बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदन में प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार भूराराम के 5 पुत्र थे, भूराराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की मृत्यु पर पैतृक सम्पति में सभी का 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। दिनांक 18.08.1992 को कैम्प आलौदा में पहले नामांतरण सही रूप से पाँचों पुत्रों के नाम भरकर तस्दीक किया गया किन्तु बाद में पुनः रिव्यु कर वसीयत के आधार पर तीन पुत्रों के नाम भरकर परिवर्तित कर दिया। जिसके बाबत अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मुझे सुना गया। इसका कोई विधिक आधार नही है। पक्षकारों के हक हकुक का निर्धारण मूल वाद में होना शेष है। इससे पूर्व वाद बाहुल्यता नही हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये स्थगन जारी किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक भूल की है। विवादित भूमियां भूराराम की स्वअर्जित होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विवादित भूमियां पैतृक होने से भूराराम द्वारा निष्पादित तथाकथित वसियत विधि में स्वीकार्य नही है। अपील स्वीकार की जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने RRD 2005 पेज नम्बर 8 तथा RRD 1981 पेज नम्बर 3 की नजीरे पेश की।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 908 दिनांक 18.05.1992 भूरा की रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 20.08.1987 के आधार पर तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा इस नामान्तकरण को कभी भी चुनौती नही दी गई है। विवादित भूमि पैतृक होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अपीलांट द्वारा सजरा खानदान के सभी वारिसानों को पक्षकार नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में भी अपीलांट का आवेदन चलने योग्य नही है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन में प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार भूराराम के 5 पुत्र थे, भूराराम की मृत्यु पर पैतृक सम्पति में सभी का 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। वर वक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नामान्तकरण विरासत केवल 3 पुत्रों के नाम दर्ज कर दी गई है। इसका कोई विधिक आधार नही है। पक्षकारों के हक हकुक का निर्धारण मूल वाद में होना शेष है। इससे पूर्व वाद बाहुल्यता नही हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये स्थगन जारी किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक भूल की है। विवादित भूमियां भूराराम की स्वअर्जित होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विवादित भूमियां पैतृक होने से भूराराम द्वारा निष्पादित तथाकथित वसियत का निर्णय मूल वाद में होना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश ताफैसला वाद दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रार्थी अपीलांट का आवेदन धारा 212 स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को ताफैसला वाद ग्राम अलौदा तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 871 से 876,884,886,885,885/1887,881,882,912 से 914,546 से 548,529/1759, 160 से 162 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर